आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालन क्रमांक व
16.2.22	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। आवेदकगण वकील ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अनावेदक वकील ने जवाब प्रा० पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि पैतृक नहीं है। इनके पुत्रों ने 1/4 हिस्सा क्रय किया है। नामान्तरण भी हो गया है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र का दावा इस न्यायालय में विचाराधीन है। चूंकि हक हकूक के संबंध में निर्णय तो दावा के विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है। विवादग्रस्त भूमि को लेकर उभयपक्षकारान के मध्य अनावश्यक मुकदमेबाजी व विवाद नहीं बढ़े। इसके लिए अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से दावा का निर्णय होने तक पाबंद किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है। **आदेश** आवेदकगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से दावा का निर्णय होने तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम सीधल के भूमि खसरा नम्बर 514 रकबा 3.72 हे० में मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियम से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो। उक्त पत्रावली मूल दावा के संलग्न रहे। Signature Not Verified Digitally signed by Ram Singh Rajawat Date: 2023.02.13 12:21:11 IST Reason: SelfAttested	